सार-समाचार

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

कोटा, (निसं)। जिला एवं सत्र न्यायालय ने चचेरे भाई की हत्या के करीब दो साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी चचेरे भाई विष्णु बैरवा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। लोक अभियोजक राजेश शर्मा ने बताया कि फरियादी सुरेश ने 29 अप्रैल 2023 को नान्ता थाना कुन्हाड़ी मे एक तहरीर रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि मेरे भाई का लड़का विष्णु घर पर आया और उसके दोनों लड़के कमल व दीपक व भाई का लड़का विष्णु तीनों कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। फरियादी ने कहा कि उसी दौरान दीपक व कमल खाने को लेकर झगड़ गये झगड़े की आवाज सुनकर उनकी बेटी भी पहुंची और कमल को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि उसके भाई के लड़के विष्णु ने उसके बेटे दीपक के साथ मारपीट कर दी और बेड व दीवार के बीच मे घुसा कर गला घोटकर मार दिया। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि जब वह पहुंचा तो दीपक बेड पर उलटा मृत पड़ा हुआ था। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर दीपक की हत्या के मामले मे उसके चचेरे भाई विष्णु को गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।

सामूहिक विवाह सम्मेलन आज

कोटा, (निसं)। श्री महर्षि दधीचि छात्रावास समिति, कोटा (राजस्थान) के तत्वावधान में आयोजित तेरहवां अखिल भारतीय दाधीच ब्राह्मण सामूहिक विवाह सम्मेलन 01 मार्च 2025, शनिवार (फुलेरा दूज) को समाज की एकता और समरसता के प्रतीक रूप में भव्यता के साथ सम्पन्न होगा। समिति अध्यक्ष रविंद्र जोशी ने बताया कि इस वर्ष के सम्मेलन में तीन जोड़ों का विवाह सम्पन्न किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को युवा मंडल, महिला मंडल एवं कार्यकारिणी सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से अंतिम रूप दिया जा चुका है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पधारेंगे और वर-वधू को शुभाशीष प्रदान करेंगे। महामंत्री निमेष पुरोहित ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8.17 बजे विनायक स्थापना से होगी, जिसके पश्चात बासन, मंडल एवं यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न होंगे। दोपहर में निकासी और तोरण के बाद अपरान्ह में पाणिग्रहण संस्कार एवं सांयकाल में आशीर्वाद समारोह एवं विदाई का आयोजन होगा। आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी रविंद्र जोशी, निमेष पुरोहित, रामकल्याण दाधीच, कमलम दाधीच, अभिष्का शर्मा तथा अन्य सदस्य समाजहित में पूर्ण समर्पण भाव से कार्यरत हैं।

ट्रक कार की टक्कर में तीन की मौत

कोटा, (निसं)। नेशनल हाइवे-27 कोटा-शाहबाद मार्ग पर हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 9 लोग घायल हो गए थे। ये हादसा सुबह 6 बजे हुआ, जहां ट्रक और क्रूजर में भिड़त हो गई थी। हादसे में 9 लोगों को बारां जिले के शाहबाद की पीएचसी लाया गया था, जहां इलाज के बाद उन्हें कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में रेफर किया गया। इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय सेवक संघ के कार्यकर्ता मदद के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। दरअसल, प्रयागराज कुंभ से बांसवाड़ा जा रही क्रूजर को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। ट्रक ड्राईवर मौके से फरार हो गया था। इस हादसे में घायल ममता, क्रिश, फाल्गुनी, निलेश, मोहन, यशोदा, देवांगी, तुलसी, सोनिका का इलाज एमबीएस के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। गौरतलब है कि प्रयागराज कुंभ से स्नान कर डूंगरपुर जा रही एक क्रूजर को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और नौ लोग गंभीर घायल हो गए थे। इन्हें शाहाबाद के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया था जहां से कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

राजकार्य में बाधा डालने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार

छबड़ा (निसं)। कस्बे में गिरदावरी के लिए गए सहायक के साथ लड़ाई-झगडा करने के मामले में छबडा पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर एसडीएम के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया हैं। कडैयानोहर निवासी मनीश कुमार धाकड़ गुरूवार को माल छबड़ा में सहायक के तौर पर गिरदावरी के लिए गए थे। जहां पर नदी मोहल्ला निवासी कंवरलाल माली व विषाल माली ने उसके साथ लड़ाई-झगडा किया। सीआई खटाना ने बताया कि राजकीय कर्मचारियों के अपने कर्तव्य निस्पादन के दौरान उनका मनोबल नही टूटने को लेकर छबड़ा पुलिस प्रतिबद्ध हैं। उन्होने आमजन से अपील कि लोकसेवको के साथ सहयोग करे, किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में नही ले।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

छबड़ा (निसं)। बापचा पुलिस ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे एक युवक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी बुद्धराम जाट के अनुसार 17 फरवरी को एक युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे उसके बडे भाई ने उसे राशन कार्ड के दस्तावेज लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर पर भेजा था। रास्ते में अमित मेहता पुत्र मुकेश मेहता निवासी बटावदापार मिला। जिसने उसके घर के सामने उसका हाथ पकड़ लिया ओर उसे खिंचकर अपने घर के अन्दर ले जाकर खोटाकाम किया। पुलिस ने इस मामले मे अमित को गिरफ्तार कर लिया है। कार्यवाही में साहब सिंह, संदीप सिंह, चेतन सिंह, समुन्द्र सिंह आदि शामिल रहे।

'समृद्ध नारी' कार्यक्रम आयोजित

छबड़ा (निसं)। भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से वित्तीय समझदारी ''समृद्ध नारी'' थीम पर वित्तीय साक्षरता दिवस 24 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। जिसके तहत आयोजित कार्यक्रम में वित्तीय साक्षरता केंद्र से दीपक शर्मा ने बचत और निवेश के बारे में महिलाओं को जानकारी दी राजीविका से बीपीएम ओम प्रकाश द्वारा धोखाधड़ी से बचने के बारे में बताया गया। इस दौरान डीईओ लखन नागर, एफसी रामनिवास मीना, एफसी लोकेश मीना, सुनील, बनवारी लाल उपस्थित रहे।

शिव-पार्वती विवाह उत्सव मनाया

छबड़ा (निसं)। शंकरझरी मंदिर पर पार्वती महिला मण्डल की महिलाओं ने शिव-पार्वती विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया। पहले दिन हल्दी, दूसरे दिन मेहंदी, तीसरे दिन बासन व भात कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक परिधानो में सजधजकर भक्तिभाव से भाग लिया। इसके बाद भगवान षिवजी की बारात का आयोजन किया गया।

एटीएम काटकर वारदात को अंजाम देने के आरोपी को गिरफ्तार किया

- घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद
- गैस कटर से एटीएम काटकर दिया था वारदात को अंजाम

कोटा, (निसं)। बोरखेड़ा इलाके में गैस कटर से एटीएम मशीन काटकर चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि 13 फरवरी को बोरखेड़ा इलाके के मानपुरा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लगे एटीएम के अंदर आरोपियों ने गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर मशीन में रखे 16800 रूपये चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में पुलिस उपअधीक्षक लोकेन्द्र पालीवाल के सुपरविजन में बोरखेड़ा थानाधिकारी देवेश भारद्वाज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर बैंक में लगे सीसीटीवी फुटैज चैक किये तो वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का कपड़े से मुंह बंधा हुआ था और बदमाशों ने गैस कटर से काटकर वारदात को अंजाम दिया था।

एटीएम मशीन काटकर चोरी करने के आरोपी को गिरफ्त में लिया।

शहर एसपी ने कहा कि गठित टीम ने घटना के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटैज चैक किये जिसमे एक कार मे बदमाशों के आने की पुष्टि हुई। शहर एसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये गठित टीम ने संभावित स्थानों पर दबिशे दी। पुलिस टीम ने आरोपियों की धरपकड़ के लिये फरीदाबाद, दिल्ली, मेरठ सहित उत्तरप्रदेश के कई स्थानों पर दबिश दी। पुलिस टीम को तकनीकी आधार व मुखबीर से सूचना पर लगातार प्रयास के बाद उत्तरप्रदेश के मेरठ निवासी आसिफ को गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल हुई।

पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त कार को भी बरामद किया है। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी को न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को दो मार्च तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पकड़े गये आरोपी से शमिल अन्य आरोपियो के बारे मे एवं राशि की रिकवरी के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है।

सेवानिवृत पुलिसकर्मियों की बैठक सपन्न

कोटा, (निसं)। राजस्थान पुलिस सेवानिवृत कल्याण संस्थान, जिला कोटा की आवश्यक बैठक नंदलाल पवन, प्रदेश सचिव कोटा सम्भाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसमें लगभग 150 सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए संभागीय अध्यक्ष नवनीत महर्षि, जिलाध्यक्ष तेज राज सिंह, नरेंद्र कासट, घनश्याम शर्मा, गोविंद सिंह बारहठ, पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण ने ठोस कार्य योजना बनाकर पेंशनर्स के हितार्थ कार्य करने, किसी भी प्रकार के राजनैतिक, जातिवाद और पक्षपातपूर्ण दबाव से मुक्त रहने, राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कर्तव्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कार्मिक को विशेष असमर्थता अवकाश का लाभ प्रदान किए जाने तथा न्यायालय में विचाराधीन संगठन की कम्युटेशन की राशि की वसूली अवधि 10 वर्ष 8 माह तक सीमित किए जाने बाबत दायर याचिका की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की और संगठन को मजबूत करने व एक-दूसरे के दुख-सुख में परस्पर भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिगत संगठन समय-समय पर योग शिविर और योग सत्रों का भी आयोजन करेगा। उन्होंने संगठन के विपरीत गतिविधियों के संचालन में लिप्त व्यक्तियों को कठोर चेतावनी देते हुए कहा कि इसका मुंहतोड़ जवाब सघन सदस्यता अभियान के माध्यम से दिया जाएगा। बैठक में रूप सिंह, सेवानिवृत उप निरीक्षक के प्रकरण में विभाग द्वारा पालना न किए जाने और आर.जी.एच.एस. के अंतर्गत पेंशनर्स एवं सेवारत कार्मिकों को दी जा रही दवाईयों की सुविधा में चरणबद्ध कटौती के सरकारी षडयंत्र के प्रबल विरोधस्वरूप राज्य सरकार को ज्ञापन देने का भी निर्णय लिया गया। संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद मीणा ने पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु कोषाधिकारी, कोटा और अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा से भी शीघ्र वार्ता करने की घोषणा की। राज्य सेवा से पूर्व और इस माह में सेवानिवृत होने वाले मोहम्मद शाकिर, सहायक उप निरीक्षक, महावीर प्रसाद श्रीफल भेंट कर उनके सुखद सेवानिवृत जीवन की शुभकामनाएं दी।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक:-LU2012/KOT/2024-25/100896 **लोक सूचना** दिनांक:-28.02.2025

श्री NARENDRA KUMAR SONI पुत्र श्री RAJENDRA SONI जाति SWARNKAR निवासी HANUMAN MANDIR KE PASS HATAI CHOWK MANDANA, श्री HEMANT KUMAR SONI पुत्र श्री RAJENDRA SONI जाति SWARNKAR निवासी TODI MOHALLA MANDANA ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	फाटा खेडा लाडपुरा (कोटा)	NARENDRA KUMAR SONI S/O RAJENDRA SONI & HEMANT KUMAR SONI S/O RAJENDRA KUMAR SONI	108	7100	0.71
				कुल	0.71

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के आभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.02.2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

चाकू सहित दो आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कुन्हाड़ी पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को चाकू सहित गिरफ्तार किया है। कुन्हाड़ी थानाधिकारी अरविन्द भारद्वाज ने बताया कि थानें के सहायक उपनिरिक्षक धनराज मय जाप्ता इलाके में गश्त कर रहे थे। पुलिस टीम को मुखबीर से सूचना मिली कि नहर के पास काली बस्ती में एक व्यक्ति वारदात करने की फिराक में अवैध हथियार चाकू लेकर घुम रहा है। पुलिस टीम ने सूचना पर मौके पर पहुंचकर मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से अवैध हथियार चाकू बरामद हुआ। पुलिस टीम ने आर्म्स एक्ट में कार्यवाही करते हुए आरोपी ओम सुमन को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि थाने के हैड कांस्टेबल देवेन्द्र मय जाप्ता इलाके में गश्त कर रहे थे। जहां पुलिस टीम को सूचना मिली कि बजरंगपुरा के सामने नहर के सामने एक व्यक्ति अवैध हथियार चाकू लेकर घूम रहा है।

फायरिंग के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया

- एक देशी पिस्टल, देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद

कोटा, (निसं)। किशोरपुरा इलाके में वक्फ कमेटी के कार्यालय में फायरिंग के मामले में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए फायरिंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि किशोरपुरा इलाके मे टेंडर प्रकिया के दौरान हुई फायरिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस उपअधीक्षक योगेश शर्मा के निर्देशन में किशोरपुरा थानाधिकारी भुरी सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने तकनीकी आधार व मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए फायरिंग की घटना के मामले में दो आरोपी बंजारा कॉलोनी निवासी सोहराब उर्फ जुगनु (28) एवं छावनी निवासी कादिर खान (30) को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों के पास से घटना मे प्रयुक्त एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा मय मैगजीन व 4 जिंदा कारतूस बरामद किये है। पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी जप्त कर लिया है। शहर एसपी ने बताया कि आरोपी कादिर खान ने जंगलीशाह में लाईट व टेंट का टेण्डर पूर्व में ले रखा था जिसकी रकम जमा नही कराने पर कमेटी ने आरोपी को ब्लेक लिस्ट कर दिया था आरोपी डरा-धमकाकर टेण्डर दुबारा हासिल करना चाहता था इसलिये आरोपी कादिर ने अपने साथी शोहराब के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है।

यह था मामला:- किशोरपुरा थानाधिकारी भुरी सिंह ने बताया कि फरियादी सरफराज अंसारी ने किशोरपुरा थाने मे 25 फरवरी को रिपोर्ट दी थी। फरियादी ने रिपोर्ट मे कहा था कि जिला वक्फ कमेटी के कार्यालय में महफिलखाना टेंट लाईट व डेकरोशन के टेंडर की प्रकिया चल रही थी। इसी दौरान पूर्व ठेकेदार कादिर खान अपने एक अन्य साथी शोहराब उर्फ जुगनु के साथ आया और पदाधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि टेंडर नही होगा बाहर निकलो और तीन-चार राउंड फायर किये जिसमें लोग जान बचाने के लिये इधर-उधर भागने लगे और आरोपी चार राउंड फायरिंग कर अपनें साथी के साथ मौके से फरार हो गया। थानाधिकारी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही कर फायरिंग के दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया है।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक:-LU2012/KOT/2024-25/100886 **लोक सूचना** दिनांक:-28.02.2025

श्री MANJEET SINGH पुत्र श्री SANTOKH SINGH जाति SIKH निवासी 1-F-24 KANSUA KOTA RAJASTHAN ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कंसुवा लाडपुरा (कोटा)	MANJEET SINGH S/O SANTOSH SINGH CASTE-SIKH SA. DEH KHATEDAR	324	2500	0.25
2.	कंसुवा लाडपुरा (कोटा)	MANJEET SINGH S/O SANTOSH SINGH CASTE-SIKH SA. DEH KHATEDAR	327	2200	0.22
3.	कंसुवा लाडपुरा (कोटा)	MANJEET SINGH S/O SANTOSH SINGH CASTE-SIKH SA. DEH KHATEDAR	547/323	1490	0.149
4.	कंसुवा लाडपुरा (कोटा)	MANJEET SINGH S/O SANTOSH SINGH CASTE-SIKH SA. DEH KHATEDAR	549/328	850	0.085
5.	कंसुवा लाडपुरा (कोटा)	MANJEET SINGH S/O SANTOSH SINGH CASTE-SIKH SA. DEH KHATEDAR	551/329	890	0.089
6.	कंसुवा लाडपुरा (कोटा)	MANJEET SINGH S/O SANTOSH SINGH CASTE-SIKH SA. DEH KHATEDAR	533/330	360	0.036
				कुल	0.829

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के आभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.02.2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा की आमसभा आज

- 2.38 करोड़ के लाभांश वितरण का किया जाएगा अनुमोदन, स्वीकृति के बाद होगा वितरण

कोटा, (निसं)। शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा लि. 696 आर कोटा-बारां की वार्षिक आमसभा रविवार को यूआईटी ऑडिटोरियम बालाजी नगर पर आयोजित की जाएगी। सहकारी सभा के अध्यक्ष प्रकाश जायसवाल ने बताया कि अधिवेशन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि होंगे। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अध्यक्षता करेंगे।

साथ ही, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा तथा शिक्षामंत्री के ओएसडी सतीश कुमार गुप्ता विशिष्ट अतिथि होंगे। इस दौरान सर्वाधिक हिस्सा राशि वाले 10 अंशधारक सदस्यों का सम्मान किया जाएगा। आमसभा के दौरान लोन राशि बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही संस्था द्वारा अर्जित 4 करोड़ रुपए के लाभ में से तकरीबन 2 करोड़ 38 लाख रुपए का लाभांश सदस्यों में वितरित करने की स्वीकृति भी आम सभा में ली जाएगी। अध्यक्ष प्रकाश जायसवाल तथा मंत्री जमनालाल गुर्जर ने बताया कि पिछली कार्यकारिणी ने मनमानी करते हुए नई सदस्यता बंद कर दी थी। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के द्वारा 23 फरवरी 2023 से ही नए सदस्यों को जोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ। इसके बाद अब तक 874 नए सदस्य जोड़े जा चुके हैं। प्रकाश जायसवाल तथा उपाध्यक्ष महेंद्र नागर ने बताया कि पिछली कार्यकारिणी ने 1374 डिफॉल्टर्स विरासत में सौंपे थे। जिन पर 21 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। वर्तमान कार्यकारिणी ने प्रयास करके लगभग 10 करोड़ रुपए की वसूली की है और अब केवल 400 सदस्य डिफाल्टर के रूप में शेष बचे हैं। संस्था द्वारा 2 वर्ष में ही 5 करोड़ की अतिरिक्त सावधि जमा करवाकर संस्था का सावधि जमा फंड बढ़ाया गया है।

इसी के साथ-साथ ऋण राशि में भी बढ़ोतरी की है। जो आने वाले समय में भी जारी रहेगी। इन दो वर्षों में अंकेक्षण करवा कर लगातार समय पर लाभांश का वितरण किया गया है। वहीं संस्था में पूर्व में जारी गुरुवार साप्ताहिक अवकाश को समाप्त कर रविवार अवकाश को शुरू किया गया है। वहीं अवकाश दिवस में भी कार्यालय खोलकर 11 से 4 बजे तक राशि जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है। अब ऑनलाईन लिंक एवं क्यूआर कोड के माध्यम से भी राशि जमा की जा रही है। इस दौरान कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। जिसमें मंत्री जमनालाल गुर्जर, उपाध्यक्ष महेंद्र नागर, संचालक गायत्री मीणा, दिनेश मीणा, कमल शर्मा, पूनम गौतम, रवि गौतम, शिवराज गोचर समेत कई लोग मौजूद रहे।

यह होगा आम सभा का एजेंडा:- अध्यक्ष प्रकाश जायसवाल ने बताया की आमसभा के दौरान वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन, वित्तीय वर्ष 2024- 25 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति, अंकेक्षण वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के प्रतिवेदन कि आक्षेप पूर्ति, लाभांश वितरण की स्वीकृति, अंकेक्षक नियुक्ति की पुष्टि, कार्यकारिणी एवं उप समितियों की बैठक में लिए गए निर्णय की पुष्टि तथा नवीन सदस्यों का अनुमोदन किया जाएगा।

होली मिलन समारोह संपन्न

छीपाबड़ौद (निसं)। अभिभाषक परिषद ने न्यायालय परिसर में होली मिलन समारोह आयोजित किया जिसमें मुख्य अतिथि ए सी जे एम साक्षी चौधरी रही तथा अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष बृजमोहन मालव ने की पूर्व अध्यक्ष कुंज बिहारी नागर एडवोकेट ने बताया कि कार्यक्रम में सभी ने मुंह मीठा करा कर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद शुक्ला, राजकुमार वैष्णव, पटवर्धन सिंह, हिम्मत सिंह सोनगरा, देवेंद्र यदुवंशी, चैन सिंह मीणा, महेंद्र गुर्जर सहित अन्य अधिवक्ता एवं न्यायालय स्टाफ मुंशी गण उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज.)

क्रमांक:-ननिकोउ/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/14865-66 दिनांक: 28.02.25

स्वामित्व हस्तान्तरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अक्षय जैन पुत्र स्व. श्री अजीत जैन निवासी बाटा कम्पनी के सामने रामपुरा कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर व्यवसायिक दुकान नम्बर 16 गीता भवन रोड कोटा क्षेत्रफल 140.25 वर्गफुट का बिना छत के अधिकार के स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। व्यवसायिक दुकान नम्बर 16 गीता भवन रोड कोटा क्षेत्रफल 140.25 वर्गफुट का बिना छत के अधिकार के आवंटन कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री कल्याण मल को किया गया। श्री गुलाब चन्द ने जर्ये नोटेरी वसीयत नामा तहरीरी तारीख दिनांक 29.03.2007 से उक्त दुकान की वसीयत श्री अक्षय जैन पुत्र स्व. श्री अजीत जैन के नाम कर दी। श्री गुलाब चन्द का देहावसान दिनांक 12.08.2015 को हो जाने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा उत्तर में उक्त दुकान का बिना छत के अधिकार के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने की किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त दुकान से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा उत्तर

खोया पाया

लुबना पत्नी मोहम्मद मतीन म.न. 4-C-33 तलवंडी कोटा का मूल निरस्तीकरण गुम हो गया है किसी को मिलने पर सूचित करें मोबाइल न.9829298291

नाम परिवर्तन

मेरा नाम 10वीं की मार्कशीट में Davendra kumar लिखा हुआ है जबकि मेरा सही नाम Devendra kumar निवासी-एमआईजी 346, विवेकानंद नगर, कोटा है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/5650 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक:-27.02.25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सुरजा देवी शृंगी पत्नी श्री रमेश कुमार शृंगी निवासी रावतभाटा ने आवेदन प्रस्तुत कर नया बाजार आवासीय योजना अन्तर्गत आवंटित आवासीय भूखंड संख्या 291 साईज 40x50 क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट जो नया बाजार भूमि आवंटन समिति की ओर से अधिशाषी अभियन्ता राणा प्रताप सागर एवं भण्डार खण्ड रावतभाटा द्वारा श्री रमेशचन्द्र राजौरा पिता श्री उमेशचन्द्र निवासी रावतभाटा को इकरारनामे के तहत लीज होल्ड के आधार पर इकरार दिनांक 04.05.1983 के अंतर्गत लाईसेन्स (पट्टा) क्रमांक 1283 दिनांक 04.05.1983 से इकरारनामों में उल्लेखित शर्तों के अधीन आवंटित की गयी थी। इसके उपरांत रमेशचन्द्र राजौरा की मृत्यु दिनांक 21.09.1988 को हो जाने के उपरांत उनके वैध वारिसान (श्रीमती अन्नपूर्णा राजौरा पत्नी स्व. श्री रमेशचन्द्र राजौरा एवं श्री मुकेश राजौरा, श्रीमती आशा, श्री उमेन्द्र राजौरा पिता स्व. श्री रमेशचन्द्र राजौरा निवासी रावतभाटा) के द्वारा उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19.05.2010 से आवेदक श्रीमती सुरजा देवी शृंगी पत्नी श्री रमेश कुमार शृंगी निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया, जिससे प्राप्त स्वामित्व के अधिकारों के तहत आवेदक के नाम से इस कार्यालय में उक्त आवासीय भूखंड का नामान्तरण/हस्तान्तरण दर्ज किए जाने हेतु स्व: प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है।

अत: प्रस्तुत दस्तावेजों व राज्यादेशों एवं नियमों के तहत इस आवासीय भूखंड का नामान्तरण/हस्तान्तरण उपरोक्तानुसार दर्ज किये जाने में किसी हितधारी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कडैयानोहर में साइकिल वितरण समारोह

छबड़ा (निसं)। उच्च माध्यमिक विद्यालय कडैयानोहर में बालिकाओं को साइकिल वितरण का कार्यक्रम सम्पन हुआ। समारोह में 29 छात्राओ को साइकिल वितरित की गई। साइकिलें पाकर छात्राओ के चेहरे खिल उठे।

प्रभारी मनोज नागर ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि कडैयानोहर सरपंच रहे। अध्यक्षता कार्यवाहक प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार यादव ने की। मुख्य अतिथि सरपंच सत्यनारायण मालव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। इस योजना से बालिकाओं को विद्यालय पहुंचने में सुविधा होगी।

यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क